

आदेश न वृत्तवास प्रवास सचयुवीविस आर्देपुपस जिला कालमकर पुन पिना मीजसुदे, जयपुर  
प्रकरण संख्या 428/2022 (विषय 14 पिक्वीरिवाइकेसन्)  
दुपिजमन बैंक शाखा- पुन आर्दे रोड, जयपुर।

प्राथी विलीय बैंक

समाप्त

1. श्री अशोक कुमार राजवागिसा पुन श्री वायूराम राजवागिसा,
2. श्रीमती रेखा राजवागिसा पत्नी श्री अशोक कुमार राजवागिसा,  
पता- ई-606, वैशाली नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण  
श्रीमती एवं ससम्बर



The application under section 14 of the Securitization and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act, 2002.

सम्बन्धित :- श्रीमती ककसागा, अधिवक्ता, प्राथी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 13/01/2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राथी विलीय बैंक ने अप्रार्थी श्रमिणी को दिनांक 20.08.2016 को पुनर्पूरातान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती रेखा राजवागिसा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 207, वाई नं. 49, आगरा रोड, जामखोटी, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 349.06 वर्गगज को बंधक रख कर कुल राशि 36,10,111/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी श्रमिणी द्वारा प्राथी विलीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असमर्थ रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी श्रमिणी को दिनांक 13.01.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि नये ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी विलीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक फुलिस इमपदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राथी बैंक के सुयोग्य अधिकता को गौर से सुना गया। पत्रादली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रादली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथी विलीय बैंक ने अप्रार्थीगणों को 36,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्राथी विलीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण दसूरी के लिए बकाया ऋण राशि नये ब्याज कुल राशि 39,88,111.00/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 13.01.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है इसके अतिरिक्त दो दैनिक सन्वय

जिला मजिस्ट्रेट  
(संयक्टर) जयपुर

पत्रों में 13(2) के नोटिस को प्रकाशित कराया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती रेखा रजवानिया के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. 20ए, वार्ड नं. 49, आगरा रोड, जामडोली, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 349.06 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर



दिनांक 13.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

410  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर